संख्या-6/2018/567/53-2-18-2(47)/15

प्रेषक,

राज कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (राज्य सेक्टर) (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त के पत्रांक-10/दुग्ध-4/नियो0/सूचना तक0 कम्प्यू0(223)/2018-19, दिनांक-06 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड पचास लाख मात्र) एकमुश्त आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-01 विभाग के जनपदीय व मण्डलीय कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर अवस्थापना

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	मद	कुल संख्या	इकाई लागत	कुल लागत
अ	दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालयों हेतु			
1	प्रति कार्यालय 03 सेट पर्सनल कम्प्यूटर(7 दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालयों हेतु)	21	1.25	26.25
ब	उपदुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालयों हेतु			
1	प्रति कार्यालय 02 सेट पर्सनल कम्प्यूटर(24 उपदुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालयों हेतु	48	1.25	60.00
	योग			86.25

तालिका-02 दुग्ध संघों, पी0सी0डी0एफ0 ईकाइयों तथा मुख्यालय हेतु डेस्कटाप कम्प्यूटर, यूपीएस एवं लेजर प्रिन्टर

क्रम सं0	मद	कुल संख्या	इकाई लागत	कुल लागत
1	पर्सनल कम्प्यूटर(19 दुग्ध संघ् + कन्नौज काऊ मिल्क प्लान्ट हेतु एक सेट प्रति दुग्ध संघ/इकाई । इसके अतिरिक्त 3 सीएफपी, 01 एसपीपीएम, 02 सीडीटीआरआई एवं 02 आर0एम0ओ0 हेतु 01 सेट प्रति इकाई तथा शेष 11 सेट पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों हेतु ।	39	1.25	48.75

नोट- तालिका 1 एवं तालिका 2 हेतु एक सेट पर्सनल कम्प्यूटर का अर्थ 1 डेस्कटाप पीसी+यूपीएस+लेजर प्रिन्टर है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-03 पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय में विभागीय प्रमुख हेतु लैपटाप कम्प्यूटर

मुख्यालय हेतु लैपटॉप कम्प्यूटर		
क्र0सं0	विभाग का नाम/अधिकारी	संख्या
1	प्रबंध निदेशक	1
2	मुख्य महा प्रबंधक	1
3	महाप्रबंधक प्रशासन/कार्मिक	1
4	प्रभारी समन्वय	1
5	एम0एस0डी0	1
6	गुणवत्ता आश्वासन	1
7	प्रशिक्षण	1
8	सूचना प्रौद्योगिकी	1
9	अभियन्त्रण	1
10	प्रशासन	1
11	विपणन	1
12	प्रकाशन	1
13	पीएण्डआई	1
14	मैटीरियल	1
15	वित्त	1
	योग	15

एक लैपटाप कम्प्यूटर की इकाई लागत रू0 1.00 लाख

कुल योग 15.00 लाख

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही-खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि रू0 99.27 लाख का उपभोग प्रमाण पत्र परियोजनावार/मदवार तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत उपरोक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक **'2404-डेरी विकास- 102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम - 0305-सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 03 मार्च, 2018 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2018/567(1)/53-2-2018, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार-लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in